

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

"मालिकाना" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मोटा का रेखा
पिताम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
 अनुसूचक में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का मोटा का रेखा तहसील करेड़ा
 में जमाबंदी सम्वत् १०७५-२०७८ में खाता संख्या ६३
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
		३	४	५
०८	<u>करेड़ा</u>	<u>६३</u>	<u>जगन्नाथ उर्फ जगू</u> <u>स/० छोगा</u>	<u>जगन्नाथ पि० छोगा</u>

उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 26/10/21

/2021 } 08

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया
 भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा